



भारतीय रिज़र्व बैंक - तिरुवनंतपुरम  
Reserve Bank of India- Thiruvananthapuram  
संपदा विभाग Estate Department

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए हाउसकीपिंग सेवाओं हेतु निविदा - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवडियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम (डी) प्लामूडू और (ई) नतनकोड।

[उपर्युक्त निविदा](#) के लिए बोली-पूर्व बैठक तय समय के अनुसार 13 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग, दूसरी मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में हुई। इसमें भाग लेने वालों की सूची निम्नानुसार है:

**(a) बैठक में शामिल हुए बैंक अधिकारियों की सूची**

1	श्री संतोषकुमार पी. एस.	सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी-सिविल)
2.	श्री शिबू के.एस.	प्रबंधक
3.	श्री प्रसाद चोरगे	सहायक प्रबंधक
4.	श्री सुजीत एम.यू.	सहायक

**(b) बैठक में शामिल हुए ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की सूची**

क्रम संख्या	प्रतिनिधि का नाम	फर्म का नाम
1	अजीब एन	मेसर्स एस 24x7 प्राइवेट लिमिटेड
2	सुनील रेमंड	मेसर्स जेनेसिस
3	सुनील बी	मेसर्स सीआईएसबी
4	बाला विनयगम	मेसर्स टाइगर 4 इंडिया लिमिटेड.
5	शिफान के फोलद	एनए एसोसिएट्स
6	संजय	मेसर्स अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड.
7	हरि कृष्णन जी	मेसर्स एस 24x7 प्राइवेट लिमिटेड
8	मायादुर	मेसर्स विस्मया सर्विसेज कंसल्टेंसी
9	साजी सुकुमार	मेसर्स विस्मया सर्विसेज कंसल्टेंसी
10	राहुल के मोहन	मेसर्स एस एंड सी मल्टी-कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
11	शिबू आरएस	मेसर्स क्लीन एंड क्लीन हाइजीन सर्विसेज
12	राखी जेआर	सिवानी एसोसिएट्स
13	अमन पीटर	मेसर्स क्लीन एंड केयर

2. श्री संतोषकुमार पी.एस., सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी-सिविल), संपदा विभाग ने बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने बैठक में भाग लेने वालों का स्वागत किया।



3. निविदा के बारे में प्रतिभागी से प्रश्न आमंत्रित किए गए। ठेकेदारों के पूछे गए प्रश्न और बैंक के स्पष्टीकरण की जानकारी नीचे तालिका में दी गई हैं:

क्रम. सं.	प्रश्न	बैंक का स्पष्टीकरण
a.	सार्वजनिक छुट्टियों के संबंध में स्पष्टीकरण	निविदा दस्तावेज़ के खंड VIII के पैरा 1 के अनुसार, "कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश जैसे गणतंत्र दिवस, कामगार दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी।"
b.	ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर संचालन के बारे में स्पष्टीकरण	ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर का संचालन हाउसकीपिंग स्टाफ को करना होगा। इसके अलावा, मशीन का रखरखाव बैंक करेगा। निविदा के खंड VIII का पैरा E देखा जा सकता है।
c.	वेतन में बदलाव के कारण कानूनी हिस्से में बढ़ोतरी के बारे में स्पष्टीकरण	जैसा कि निविदा दस्तावेज़ के खंड II के पैरा 2.1(II) में बताया गया है, "मासिक कर्तव्यों के हिसाब से मासिक निविदा राशी में बढ़ोतरी सिर्फ़ मूल दरों और चर परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA) में बढ़ोतरी तक ही सीमित होगी और कोई भी दूसरा घटक जो वेतन या भत्ता का हिस्सा है और जो कानूनी तौर पर सही है, जैसे EPF, ESI, बोनस आदि, जो मूल दरें और/या चर परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA) पर निर्भर हैं, उन्हें मासिक निविदा राशी में बदलाव के लिए बैंक नहीं मानेगा। ठेकेदार को मूल दरों और VDA के अलावा इन कानूनी घटकों में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखना होगा और मूल्य बोली के तहत इन बढ़ी हुई लागतों को शामिल करने के लिए अपने सबसे अच्छे दरें देने होंगे। इस मामले में बैंक का फैसला आखिरी होगा।"
d.	नयी श्रम संहिता के बारे में स्पष्टीकरण	श्रम और रोज़गार मंत्रालय के 21 नवंबर 2025 की सूचना के अनुसार, 'श्रम संहिता की ड्राफ्टिंग के दौरान की गई बड़े पैमाने पर परामर्श के रूप में, सरकार भी संहिताओं के तहत संबंधित नियम, नियमन, योजना वगैरह बनाने में जनता और हितधारकों को शामिल करेगी। बदलाव के दौरान,



		<p>मौजूदा लेबर कायदों के संबंधित प्रावधान और उनके संबंधित नियम, नियमन, सूचना, मानक, योजना आदि लागू रहेंगे।'</p>
e.	बीमा पॉलिसियों के बारे में स्पष्टीकरण	<p>जैसा कि निविदा दस्तावेज़ के खंड V के पैरा 8.1 और 8.3 में बताया गया है, " सफल निवेदक संविदा मूल्य के लिए "तृतीय पार्टी देयता सहित सभी जोखिम पॉलिसी" लेगा और काम में लगे कर्मचारियों के लिए एक साल के लिए वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी लेगा, जिसे बैंक द्वारा संविदा नवीनीकरण किए जाने के बाद नवीनीकरण किया जा सकेगा। ठेकेदार निविदा के अनुसार काम करते समय किसी व्यक्ति या इमारत या किसी तृतीय पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को हर्जाना देगा। तैनात सभी स्टाफ के लिए वर्कमैन कंपनसेशन विमा पॉलिसी भी ली जाएगी, जिसमें हर कर्मचारी को दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी या असल वेतन का न्यूनतम कवरेज होगा। इसकी कॉपी रिकॉर्ड के लिए बैंक को जमा करनी होंगी। " थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी कवर का फायदा नीचे दी गयी जानकारी के अनुसार उठाया जाना चाहिए: a) लोगों को चोट लगने पर – हर दुर्घटना में हर व्यक्ति के लिए कम से कम 2 लाख रुपये b) प्रॉपर्टी को नुकसान होने पर – हर एक्सीडेंट में कम से कम 5 लाख रुपये, जो मौजूदा विमा दिशानिर्देशों के अनुसार ओवरऑल सीलिंग के अधीन है।" ज़्यादा जानकारी के लिए निविदा दस्तावेज़ के खंड V का पैरा 8 देखें।</p>
f.	कर्तव्यों की संख्या के बारे में स्पष्टीकरण	<p>निविदा दस्तावेज़ के खंड VIII के तहत 'हर हफ़्ते कर्तव्यों की न्यूनतम ज़रूरत' में कर्तव्यों की न्यूनतम ज़रूरत की सूचना विशेष तौर पर दी गई है।</p>
g.	वर्दी के बारे में स्पष्टीकरण	<p>निविदा दस्तावेज़ के खंड VII के पैरा 6 के अनुसार, " ठेकादार द्वारा नियुक्त किया गया हर कर्मचारी कर्तव्य के</p>



		<p>दौरान यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड पहनेगा। ठेकेदार को अपने कर्मचारी या एजेंट को बैंक के कर्मचारी से अलग दो जोड़ी यूनिफॉर्म ठेकेदार के खर्च पर देनी चाहिए। यूनिफॉर्म पर जैकेट/शर्ट पर "HOUSEKEEPER" या "SUPERVISOR" सिला या एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होना चाहिए, जैसा भी हो और कॉन्ट्रैक्टर की फर्म/कंपनी का लोगो भी होना चाहिए और इसे साफ-सुथरा और पहनने लायक हालत में रखना होगा।"</p>
h.	सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र के बारे में स्पष्टीकरण	<p>निविदा दस्तावेज़ के खंड II के पैरा 1.2 के अनुसार, "आवेदक के बैंकर द्वारा जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, खास तौर पर काम के मकसद के लिए, अनुमानित लागत कम से कम (₹2,60,00,000/-) के बराबर रकम के लिए।"</p>
i.	पूरी हाउसकीपिंग सेवाओं के प्रभारी के बारे में स्पष्टीकरण	<p>मुख्य कार्यालय भवन में तैनात पर्यवेक्षकों को ठेकेदार के साथ समन्वय करके हाउसकीपिंग सेवाओं के पूरे प्रबंधन का ध्यान रखना होगा।</p>
j.	सफाई उत्पादों के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण	<p>निविदा दस्तावेज़ के खंड VIII के पैरा 2.2 के अनुसार, "ठेकेदार को IGBC से स्वीकृत ब्रांड के सफाई रासायनिक पदार्थों (फर्श, टॉयलेट बाउल, यूरिनल पॉट, वॉशरूम और दूसरी सतहों वगैरह की सफाई), हैंड वॉश लिक्विड, एयर फ्रेशनर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा, निविदा दस्तावेज़ के खंड VIII के पैरा 2.3 के अनुसार, "निविदा दस्तावेज़ में बताए गए सामग्री और उनसे जुड़े ब्रांड नाम या निर्माता सूचक हैं। ठेकेदार बैंक से स्वीकृति लेकर सूची में बताई गई सामग्री के अलावा दूसरी मानक की सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकता है।"</p>

4. बोलीदाता को सूचित किया गया कि वे बोली शुरू होने की तारीख से काफी पहले एमएसटीसी पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर लें। इसके अलावा, उन्हें सूचित किया गया कि निविदा दस्तावेज़ में बताए गए दस्तावेजों को बोली की आखिरी तारीख से काफी पहले एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड कर देना चाहिए ताकि आखिरी समय में कोई गलती/जल्दबाजी न हो। बोलीदाता को यह भी सूचित किया गया कि



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की गई एक्सेल शीट को डाउनलोड करके बोली प्रविष्ट की जाए। वस्तु के हिसाब से दरें (जहां भी लागू हो) जीएसटी को छोड़कर प्रविष्ट किए जाने चाहिए।

5. बोलीदाता यह भी ध्यान दें कि बोली-पूर्व बैठक के दौरान बैंक द्वारा दी गई ऊपर बताई गई सभी जानकारी, निविदा दस्तावेज़ में बताई गई जानकारी के साथ, निविदा /संविदा का भाग होगा।

6. बैठक पूर्वाह्न 11:50 बजे समाप्त हुई।

**क्षेत्रीय निदेशक  
केरल और लक्षद्वीप**